(44)

दिनांक–13.05.2017 को पंकज दीक्षित, भा.प्र.से. जिला पदाधिकारी एवं समाहर्त्ता, किशनगंज की अध्यक्षता में सम्पन्न बाढ़ पूर्व तैयारी से संबंधी बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– उपस्थिति पंजी के अनुसार दृष्टव्य ।

–: कार्यवाही :–

बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को बताया गया कि प्रधान सचिव का पत्रांक–1137/आ.प्र. दिनांक–24.04.2017 जो सबको उपलब्ध कराया गया है, वे अपने–अपने विभाग से संबंधित बिन्दु से अवगत हो लेंगे साथ ही अपने–अपने विभाग से बाढ़ से संबंधित जो भी पत्र प्राप्त होंगे, उसके आलोक में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। वर्षा के मौसम में भीषण वर्षा होने के कारण संभावित बाढ़ एवं आपदा से निपटने हेतु एवं पिछले वर्ष वाली स्थिति उत्पन्न न हो इसके लिए सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत समय पूर्व सतर्कता एवं सतत निगरानी रखेंगे तथा इस संबंध में अपरिहार्य स्थिति उत्पन्न होने पर तत्क्षण सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि समय रहते हुए उचित कदम उठाया जा सके।

बैठक में बिन्दुवार समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरान्त निम्नांकित निदेश दिये गये :–

1. **वर्षा मापक यंत्र** :– वर्षा मापक यंत्रों की आवश्यकतानुसार मरमम्ती एवं उनको चालू हालत में रखे जाने एवं वर्षा मापक यंत्रों के रिडिंग हेतु प्रत्येक प्रखंड में 2 प्रशिक्षित कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करने, साथ ही वर्षापात् आंकड़े के त्वरित प्रातः 8:00 बजे तक प्रेषण की व्यवस्था करने का निदेश दिया गया। सभी अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि वर्षापात् प्रतिवेदन संकलित कर जिला सांख्यिकी पदाधिकारी एवं जिला आपदा पदाधिकारी को ससमय भेजना सुनिश्चित करेंगे ताकि जिला स्तर पर वर्षापात प्रतिवेदन को तुरंत सभी संबंधित विभागों को उपलब्ध कराया जा सके।

2. ***संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र एवं संकटग्रस्त व्यक्ति समूहों की पहचान*** :– विगत वर्ष के अनुभवों के आधार पर अंचल अधिकारियों/प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि बाढ़ से प्रभावित होने वाले संभावित क्षेत्रों एवं संकटग्रस्त व्यक्ति समूहों की अद्यतन पहचान कर इसकी सूची बना ली जाय, इस कार्य हेतु विगत वर्षो में आयी बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों और व्यक्ति समूहों के आंकड़ों का उपयोग किया जाय। अनुसूचित जाति एवं जनजाति श्रेणी के व्यक्तियों, निराश्रितों, निःशक्तजनों, बीमार व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं एवं धातृ माताओं एवं 0–5वर्ष तक के बच्चों की सूची विशेष रूप से तैयार की जाय एवं इसकी सूची Hard एवं Soft copy अगले एक सप्ताह में जिला नियंत्रण केन्द्र एवं जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय में भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे एवं आपदा प्रबंधन कार्यालय प्रभारी व्यक्तिगत रूचि लेते हुए त्रुटिरहित सूची सभी प्रखंडों से प्राप्त कर समेकित करेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इस सूची के सहयोग से आवश्यक कार्रवाई तुरंत किया जा सके।

3. **संसाधन मानचित्रण** :– पिछले वर्ष के अनुभव को देखते हुए अंचल अधिकारियों एवं प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि बाढ़ सुरक्षा हेतु गाँव, पंचायतों एवं प्रखंड में उपलब्ध संसाधनों का मानचित्रण किया जाय। आम आदमी के आश्रय स्थल से पर्याप्त दूरी पर पशु आश्रय स्थल चिन्हित किया जाय। अंचल में उपलब्ध निजी नाव मालिकों से एकरारनामा कर लिया जाय। पुरानी सरकारी नावों की महनी/मरम्मती, निबंधित कराकर उन्हें परिचालन योग्य बनाया जाय। निजी नाव मालिकों एवं चालकों के पूर्व के बकाये भुगतानों के मामलों को तुरंत निष्पादित किया जाय। नाव की सुरक्षा हेतु नावों पर भार क्षमता का चिन्ह लगाया जाय ताकि भार क्षमता से अधिक व्यक्ति को नाव पर नहीं लें। नावों के संबंध में संबंधित Act एवं नियमावली में दिये गये निर्देशों के अनुसार संपूर्ण कार्यवाही जिला परिवहन

दाधिकारी, किशनगंज / अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज/ सभी अंचल अधिकारी, किशनगंज के स्तर से संपादित की जायेगी। जिला परिवहन पदाधिकारी नियमावली के अनुरूप प्रतिवेदन समर्पित करेंगे एवं शेष कार्यों को अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज अपनी व्यक्तिगत जबावदेही में अधिनियम एवं नियमावली के निदेशों के अनुरूप अंचल अधिकारियों एवं परिवहन कार्यालय के माध्यम से ससमय संपादित कराते हुए प्रतिवेदन दें एवं पाक्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से उनकी संचालन की स्थिति प्रतिवेदित करेंगें। जेनरेटर सेट, पेट्रोमेक्स, टेन्ट, खाली सीमेन्ट की बोरियों इत्यादि की उपलब्धता का विशेष रूप से मानचित्रण किया जाय एवं इन आपूर्तिकर्त्ताओं की सूची बनाकर भाड़े का निर्धारण कर लिया जाय ताकि तद्नुसार उन्हें ससमय भुगतान किया जा सके। बाढ़ से संबंधित अपने विभाग से भी निदेश एवं मार्गदर्शन आते रहेंगे। सभी संबंधित पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे अपने विभागीय निदेश के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे तथा इसकी सूचना आपदा प्रबंधन एवं अन्य संबंधितों को हस्तगत करायेंगे। आपदा प्रबंधन प्रभारी व्यक्तिगत रूचि लेकर सभी संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे एवं प्रत्येक सप्ताह शनिवार को अपने मंतव्य के साथ अद्योहस्ताक्षरी को Status Report व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध करायेंगे।

4. <u>तटबंधों की सुरक्षा</u> :– कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल–1 एवं 2 एवं कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग, किशनगंज अपने क्षेत्राधीन जिलान्तर्गत तटबंधों का निरीक्षण कर संवेदनशील स्थलों पर तटबंधों का सुदृढीकरण/मरम्मती की कार्रवाई करेंगे। इस क्रम में जल संसाधन विभाग से सतत् सम्पर्क बनाये रखा जाय। इसके अन्तर्गत मौजाबाड़ी बाँध, कृषि महाविद्यालय की सुरक्षा हेतु निर्मित बाँध तथा ए0एम0यू0 एवं पुलिस लाईन की सुरक्षा हेतु बनाये जा रहे बाँध पर विशेष निगरानी रखी जाये। सभी तटबंधों की सुरक्षा ऑडेट प्रखंड के वरीय पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता, जल निस्सरण के माध्यम से संयुक्त रूप से की जायेगी एवं उजागर हुये बिन्दुओं पर ससमय् कार्यवाही की जायेगी।

सभी संबंधित अभियंता जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों से तटबंधों की स्थिति के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त करेंगें एवं जहां सुदृढीकरण करने की आवश्यकता हो उसे मॉनसून आने के पूर्व तक सुदृढीकरण का कार्य पूरा करने का निदेश दिया गया। कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल अनुसंधान प्रमंडल, किशनगंज आवश्यकतानुसार चिन्हित बिन्दुओं पर खाली बोरे, लोहे का जाल तथा बालू की व्यवस्था प्रचुर मात्रा में रखना सुनिश्चित करेंगे ताकि तटबंध सुरक्षा का कार्य आवश्यकता पड़ने पर तुरंत शुरू किया जा सके।

नदियों में उफान आने पर तटबंधों की सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग की व्यवस्था जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों के साथ सम्पर्क कर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित कर लेंगे। इसके लिए चौकीदार की सेवाएँ ली जा सकती है और जल संसाधन एवं अन्य विभाग के क़नीय अभियंताओं के साथ उन्हें प्रतिनियुक्त कर पेट्रोलिंग टीम बनाने का निदेश दिया गया। पेट्रोलिंग टीम का यह दायित्व रहेगा कि किसी भी बिन्दु पर कटाव होने की सूचना नियंत्रण कक्ष प्रखंड/जिला प्रशासन तथा जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों को तुरंत देंगे। यह भी आशंका रहती है कि ग्रामीणों के द्वारा कतिपय स्थलों पर तटबंध काट दिया जाता है। पेट्रोलिंग पार्टी यह सुनिश्चित करेगा कि इस प्रकार का कोई प्रयास सफल न हो एवं अनावश्यक समस्या पैदा न हो, इस पर पूर्ण चौकसी बरतेंगे। इस संबंध मैं जल संसाधन विभाग द्वारा बाढ़ प्रबंधन हेतु जारी SOP से सभी पदाधिकारी अवगत हो लेंगे तथा तदनुसार सभी कार्यवाहियाँ सुनिश्चित करेंगे। आपदा प्रबंधन पदाधिकारी इस संबंध में साप्ताहिक Status Report अपने मंतव्य के साथ समर्पित करेंगे तथा जहाँ पर कार्य नहीं हो रहा हो व्यक्तिगत तौर पर समन्वय कराते हुए कार्य सम्पादन सुनिश्चित करेंगे।

42

5. सूचना व्यवस्था :– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया कि उपर से नीचे स्तर तक (From Top to Bottom) के डायरेक्ट्री बनाने का निदेश दिया गया जिसमें क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों, क्षेत्रीय पदाधिकारियों, प्रशिक्षित गोताखोरों, प्रशिक्षित स्वयं सेवकों और मोटरवोट चालकों, जन प्रतिनिधियों आदि का नाम, पता एवं मोबाईल नं0 अंकित हो। जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों के साथ सम्पर्क कर यह व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे कि प्रखण्डान्तर्गत आनेवाली नदियों के विभिन्न स्थलों पर जल स्तर की सूचना वर्षा ऋतु प्रारम्भ होने के उपरान्त प्रतिदिन प्राप्त हो। इसके लिए पुलिस वायरलेस का उपयोग किया जा सकता है। संबंधित नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में होने वाले वर्षापात की सूचना जल संसाधन विभाग के पदाधिकारी उपलब्ध करायेंगे। यह सुनिश्चित कर लेंगे कि जिला प्रशासन के क्षेत्रीय कर्मचारी (जन सेवक, कर्मचारी, पंचायत सेवक) के माध्यम से प्रखंड एवं अंचल को तथा प्रखंड/अंचल से जिला को किसी भी क्षेत्र में बाढ़ आने की सूचना तुरंत दे सके। प्रखंडस्तर पर ऐसी संचार योजनाऐं बनायी जाय जिससे कि क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों, क्षेत्रीय पदाधिकारियों, प्रशिक्षित गोताखोरों, प्रशिक्षित स्वयं सेवकों,चौकिदारों और मोटरवोट चालकों के साथ लगातार व्यवधान रहित सम्पर्क रखा जा सके।

6. नाव :– सभी अंचलों में नावों की कितनी संख्या उपलब्ध है का वर्गीकरण करना सुनिश्चित करें। कितने सरकारी एवं कितने गैर–सरकारी है एवं उन नावों में कितने का निबन्धन है? वैसे नाव जिसका निबंधन संख्या नहीं है उन नावों को ससमय निबंधित करवाना सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक नाविक का नाम, पता एवं मोबाईल नं. की सूची तैयार कर जिला नियंत्रण केन्द्र एवं जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। सभी वरीय पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि नाव के संबंध में अधिनियम एवं स्टेट गाईड लाईन है जिसे पढ़ लेने की सलाह दी गई। नयी नाव निबंधन संख्या जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जाता है एवं सरकारी नाव को निर्धारित रंग से रंगाई करा देना है। साथ ही, विभागीय निदेश के आलोक में नयी नावों का निर्माण/क्रय ससमय कर लेंगे। नयी क्रय हेतु आपूर्ति कर्त्ता के निर्माण स्थल पर जाँचदल नावों को सत्यापित करेंगे। अंचल अधिकारी अपने–अपने अंचलान्तर्गत उपलब्ध निजी नावों का ब्यौरा प्राप्त कर इसका सत्यापन करा लेंगे। जहां नाव देने की आवश्यकता होती है उसकी सूची बना लगें तथा उन स्थलों पर तैनात किए जाने वाले नाव तथा नाविक को पहले से चिन्हित कर देंगे। बाढ़ आने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति आदेश तुरंत जारी किया जाय तथा उपर्युक्त स्थल पर नाव चल रहा है अथवा नहीं इसकी जांच समय–समय पर करवायें। चलाये जा रहे नावों पर तख्ती लगा रहे जिस पर अंकित रहे कि **''यह राज्य सरकार की ओर से निःशुल्क सेवा है।''** चलाये जाने वाले नाव निश्चित स्थल/घाट से चलेंगे। उक्त घाट पर सूचना पट्ट लगा रहना आवश्यक है, जिसमें नाविक का नाम तथा संचालन अवधि अंकित रहेगी। नावों की भार क्षमता का आकलन मोटर यान निरीक्षक से कराकर नावो की निर्धारित भार क्षमता अंकित करा दिया जाए ताकि ओवर लोडिंग के कारण नाव दुर्घटनाएँ न हो सके। नाव का परिचालन सूर्योदय के बाद एवं सूर्यास्त के पहले तक हीं होगा। अंचल में उपलब्ध निजी नाव मालिकों से एकरारनामा कर लिया जाय। पुरानी सरकारी नावों की गहनी/मरम्मती, निबंधित कराकर उन्हें परिचालन योग्य बनाया जाय। निजी नाव मालिकों एवं चालकों के पूर्व के बकाये भुगतानों के मामलों को तुरंत निष्पादित किया जाय। नावों के संबंध में Act एवं नियमावली में दिये गये निर्देशों के अनुसार संपूर्ण कार्यवाही जिला परिवहन पदाधिकारी, किशनगंज / अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज / सभी अंचल अधिकारी, किशनगंज के स्तर से संपादित की जायेगी।जिला परिवहन पदाधिकारी नियमावली के अनुरूप प्रतिवेदन समर्पित करेंगे एवं शेष कार्यों को अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज अपनी व्यक्तिगत जबावदेही में अधिनियम एवं नियमावली के निदेशों के अनुरूप अंचल अधिकारियों एवं परिवहन कार्यालय के माध्यम से ससमय संपादित कराते हुए प्रतिवेदन दें एवं पाक्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से उनकी संचालन की स्थिति प्रतिवेदित करेंगें।

(4)

7. **पालीथीन शीट्स, सत्तु गुड़, चूड़ा आदि की व्यवस्था** :– विस्थापितों के लिए पालीथीन शीट्स की उपलब्धता के संबंध में पूछे जाने पर बताया गया कि पालीथीन शीट्स 10,000(दस हजार) उपलब्ध है जिसे सभी प्रखंडों में उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। अतिरिक्त पालीथीन शीट्स के लिए नियमानुसार 10000(दस हजार) पॉलीथीन शीट्स रखने का निदेश दिया गया। बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को इस बार चूड़ा, गुड़, सत्तु के अलावे नये विभागीय निदेशों के तहत् कपड़ा एवं बरतन भी दिया जाना है इस लिए बाजार में चूड़ा, गुड़, सत्तु की उपलब्धता के साथ–साथ कपड़ा एवं बरतन वाले दूकान को भी चिन्हित कर लेंगे तथा दर निर्धारित कर लेंगे ताकि आवश्यकतानुसार उपलब्धता में विलंब न हो। इन वस्तुओं का पैकेट तैयार करने हेतु टीम का भी गठन कर लिया जाय। पैकेट निर्माण हेतु स्थल चयन एवं आवश्यक उपकरण पूर्व से ही उपलब्ध करा लिये जायें। प्रखंडों के वरीय प्रभारी व्यकितगत रूप से सुनिश्चित करेंगे। सभी कार्यवाहियाँ ससमय पूर्ण की ली जाये। आपदा प्रबंधन पदाधिकारी सभी से समन्वय करते हुए साप्ताहिक Status Report अधोहस्ताक्षरी को अपने मंतव्य के साथ प्रस्तुत करेंगे।

8. **शरण स्थल** :– प्रायः यह देखा गया है कि बाढ़ आने पर प्रभावित परिवार तटबंधों पर अथवा रोड किनारे शरण लेते हैं। सभी अंचल अधिकारी अपने क्षेत्र में शरण स्थलों को पूर्व से ही चिन्हित कर लेंगे एवं शरण स्थल ऊँचे स्थानों पर जहाँ वर्षा या बाढ़ का पानी पहुँचने की सम्भवना नहीं रहती है जैसे स्कूल भवन, पंचायत भवन अथवा अन्य उँची भूमि आदि हो सकती है। जहां लोग शरण लेते हैं वहां पूर्व से आवश्यक तैयारी कर लेनी है। संभावित शरण स्थलों की पहचान और उनके प्रबंधन की विशेष योजना पूर्व से तैयार की जाय। शरण स्थल पर कितनी संख्या में बाढ़ प्रभावित व्यक्ति रह सकते है की व्यवस्था समय से पूर्व कर लें। शरण स्थलों पर आने वाले बाढ़ प्रभावितों के रजिस्ट्रेशन कार्य हेतु प्रत्येक शरण स्थलों पर एक रजिस्ट्रेशन काउन्टर की व्यवस्था हों जो रजिस्ट्रेशन–सह–नियंत्रण कक्ष के रूप में कार्य करेगा। रजिस्ट्रेशन–सह–नियंत्रण कक्ष में ध्वनि–विस्तारक यंत्र की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। शरण स्थलों पर स्वच्छ पेयजल, पुरूषों एवं महिलाओं के लिए अलग–अलग शौचालय, मडिकल कैम्प, संचार, प्रकाश एवं साफ–सफाई की समुचित व्यवस्था, नवजात शिशुओं के टीकाकरण, प्रसव की व्यवस्था, भोजन बनाने के उपस्कर एवं स्थल, मनोवैज्ञानिक परामर्श, टेन्ट, मच्छरदानी, 6 माह से 2 वर्ष के बच्चों के लिए दूध, भोजन, सेनेटरी किट जैसे–महत्वपूर्ण एवं मानवीय बिन्दुओं पर विशेष रूप से योजनाएँ ससमय बना ली जाय। अत्यन्त बाढ़ में मेगा शिविर लगाने हेतु स्थानों का चयन पूर्व से कर लिया जाय, ताकि आकस्मिकता के समय इसे व्यवहृत किया जा सके। अधोहस्ताक्षरी द्वारा बताया गया कि आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक–3174 दिनांक–24.08.2016 तथा समय–समय पर यथा संशोधित पत्रों के द्वारा राहत केन्द्र के संचालन के संबंध में निदेश अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित है। जो विभागीय बेवसाईट पर भी उपलब्ध है। इसे अवलोकनोपरान्त आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। प्रखंडों के वरीय प्रभारी इन व्यवस्थाओं का भौतिक सत्यापन कर संतुष्ट होते हुए प्रतिवेदित करेंगे। यदि कोई कमी पायी जाती है तो ससमय उसका निदान कराना सुनिश्चित करेंगे तथा स्वहस्ताक्षरित प्रतिवेदन देंगे। आपदा प्रभारी पदाधिकारी साप्ताहिक Status Report स्वाभिमत के साथ उपस्थापित करेंगे।

9. **मानव दवा की व्यवस्था** :– सिविल सर्जन को निदेश दिया गया कि वे आवश्यक दवाओं का आकलन एवं भंडारण सुनिश्चित कर लें। बाढ़ आने की दशा में विभिन्न जल जनित बीमारियों के प्रकोप की संभावना होती है। अतः जिला अस्पतालों/अनुमंडल एवं रेफरल अस्पतालों/प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों एवं प्राथमिक चिकित्सा उपकेन्द्रों पर सर्प काटने की दवाएँ, क्लोरिन टैबलेट, ओ0आर0एस0 घोल के पैकेट, हैलोजन टैबलेट, एन्टी रेबीज की सूईयाँ, एन्टीबायोटिक दवाएँ, ब्लीचिंग पाउडर आदि का पर्याप्त भंडारण कर लिया जाय ताकि बाढ़ आने की स्थिति में किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न न हो।

10. **मोबाईल मेडिकल टीम एवं मेडिकल कैम्प** :– सिविल सर्जन को निदेश दिया गया कि यथा सम्भव सभी शरण स्थल पर मेडिकल कैम्प के लिए आवश्यक चिकित्सक/पारा मेडिकल स्टाफ उपलब्ध कराये जाएँ। बड़े शरण स्थलों के लिए मेडिकल कैम्प लगाऐं जाय तथा शेष शरण स्थलों के लिए मोबाईल मेडिकल टीम गठित किया जाय। प्रत्येक मोबाईल टीम के साथ दो या तीन शरण स्थली सम्बद्ध रहेंगे। सम्बद्ध शरण स्थलों पर मेडिकल टीम की प्रतिनियुक्ति निर्धारित समय से पूर्व ही करा ली जाए।

11. **पशु चारा एवं पशु दवा की व्यवस्था** :– बाढ़ के दौरान पशु–संसाधन विभिन्न प्रकार की बिमारियों के शिकार होते है। चयनित शरण स्थलों के निकट पशु चिकित्सा शिविर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। बाढ़ आने की स्थिति में पशु चिकित्सा शिविर का सत्यापन कर लेंगे कि यह शिविर कार्यरत है। पशु चिकित्सा हेतु आवश्यक दवाओं की उपलब्धता के संबंध में जिला पशुपालन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे पशु चिकित्सा हेतु आवश्यक दवाओं का पर्याप्त भण्डारण रखना सुनिश्चित करेंगे और आवश्यकतानुसार पशु आश्रय स्थल के साथ–साथ पशु–चारा की उपलब्धता एवं आवश्यकता का ऑकलन पूर्व से कर ली जाय ताकि बाढ़ आने की स्थिति में पशु–चारा की कमी का सामना न करना पड़े

12. **शुद्ध पेयजल की व्यवस्था** :– कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन, किशनगंज को निदेश दिया गया कि वे बाढ़ प्रभावित गाँवों में शुद्ध पेय जल की व्यवस्था हेतु चापाकल को ऊँचे स्थानों पर गाड़ने की व्यवस्था तथा पेयजल के परिवहन आदि से संबंधित व्यवस्था पूर्व से ही सुनिश्चित कर ली जाय। पेयजल की शुद्धता को सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त संख्या में कलोरिन टेबलेट्स की व्यवस्था कर ली जाए एवं बाढ़ संभावित पंचायतों में इन टेबलेट्स के उपयोग का प्रशिक्षण समय–पूर्व सुनिश्चित करा लिया जाय।

13. **जेनरेटर सेट/पेट्रोमेक्स/महाजाल की व्यवस्था** :– बाढ़ के दौरान जेनरेटर सेट, पेट्रोमेक्स, टेन्ट, खाली सीमेन्ट की बोरियों इत्यादि की उपलब्धता विशेष रूप से किया जाय एवं इनके आपूर्त्तिकर्त्ताओं की सूची बनाकर भाड़े का निर्धारण कर लिया जाय। प्रत्येक अंचल हेतु एक महाजाल की व्यवस्था की जाय। आपदा प्रबंधन व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

14. **राज्य खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्न की उपलब्धता एवं खाद्यान्न के संधारण हेतु गोदामों का चिन्हितकरण** :– जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, किशनगंज के गोदामों को चिन्हित करके सुरक्षित रखेंगे। इसके लिए पंचायत एवं प्रखंड स्तर पर सरकारी/निजी भवनों की पहचान कर ली जाय जिन्हें मुफ्त खाद्यान्न के वितरण केन्द्र के रूप में प्रयुक्त किया जा सके।

15. **सड़को की मरम्मती** :– कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल–1 एवं 2 तथा पथ निर्माण विभाग, कार्य प्रमंडल, किशनगंज को निदेश दिया गया कि वे बाढ़ के पूर्व जिले के मुख्य सड़कों, विशेषकर जिला मुख्यालय से प्रखंड/अंचलों को जोड़ने वाली सड़कों की मरम्मती करा ली जाय। पुल–पुलियों की भी मरम्मती करके उन्हें यातायात के लिए सुगम बना लिया जाय ताकि बाढ़ आने की स्थिति में आवागमन में विशेष कठिनाईयों का सामना न करना पड़े। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि पिछले बार सड़क खराब हुआ था इसका तुलनात्मक प्रतिवेदन दिनांक–20.05.2017 तक अधोहस्ताक्षरी के समक्ष समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

16. **नाव/लाईफ जैकेट/मोटरवाट के परिनियोजन की आकस्मिक व्यवस्था** :– बाढ़ आने की स्थिति में जिले के किसी भी स्थान पर किसी भी समय लोगों को बचाने की आवश्यकता पड़ सकती है। अतः नाव, लाईफ जैकेट, मोटरवोट आदि के परिनियोजन हेतु एक आकस्मिक योजना तैयार कर ली जाय। अंचल में उपलब्ध सामग्रियों की जाँच NDRF से करवा ली जाय।

(39)

17. **नोडल पदाधिकारी/जिला स्तरीय टास्क फोर्स** :- बाढ़ पूर्व तैयारियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिन्दु उपलब्ध मानव संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग है। नोडल पदाधिकारियों का नामांकन, उनका प्रशिक्षण, प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला स्तर पर इनकी प्रतिनियुक्ति, क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों की प्रतिनियुक्ति और उनका प्रशिक्षण, खोज एवं बचाव कार्यो में प्रशिक्षित स्वयंसेवकों, मोटरवोट चालकों आदि की प्रतिनियुक्ति अगले एक सप्ताह के अन्दर कर लिया जाय। बताया गया कि जिला टास्क फोर्स द्वारा समय-समय पर बैठक आयोजित किया जायेगा एवं विभिन्न विभागों द्वारा बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा की जायेगी।

18. **जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र-सह-नियंत्रण कक्ष** :- जिला स्तर पर संचार माध्यमों से लैस स्थायी नियंत्रण कक्ष की स्थापना करने का निदेश दिया गया। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि जिले में उपलब्ध बाढ़ के पूर्व खोज एवं बचाव यंत्रों की सूची तैयार कर नियंत्रण कक्ष में रखा जाय। नियंत्रण कक्ष में टोल फ्री दूरभाष/टेलीफोन की व्यवस्था जिला नजारत शीघ्र करें, ताकि आम जनता से विभिन्न क्षेत्रों से शीघ्र सूचना प्राप्त की जा सके। किसी वरीय पदाधिकारी को नियंत्रण कक्ष का प्रभारी बना दिया जाए। जिला नियंत्रण कक्ष हमेशा राज्य नियंत्रण कक्ष के सम्पर्क में रहेंगे।

19. **गोताखोरों का प्रशिक्षण** :- बाढ़ आपदा एवं नाव दुर्घटना के समय लोगों को डूबने से बचाने एवं डूबे व्यक्तियों का शव बरामद करने आदि हेतु होम गार्ड पर निर्भर नहीं रहना है। वर्त्तमान में होम गार्ड हड़ताल पर भी है। निदेश दिया गया कि स्थानीय लोगों की सूची(नाम, पिता का नाम, पता एवं मोबाईल नं आदि) जितनी अधिक संख्या में हो, बना ली जाये जिन्हें गोताखारी का अनुभव हो एवं उन्हें स्थानीय स्तर पर अधिक जानकारी होती है साथ ही सरकारी दर जो भी हो उन्हें उपलब्ध करा दिया जाय एवं इससे संबंधित प्रतिवेदन तैयार कर जिला नियन्त्रण केन्द्र एवं जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इन गोताखारों की सूची एवं मोबाईल/दूरभाष नम्बर जिले के नियंत्रण कक्ष में संधारित कर रखा जाय एवं आवश्यकता के अनुरूप इनका उपयोग किया जायेगा। गोताखारों को मानदेय प्रदान करने के संबंध में जिला आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 4400 दिनांक 26.12.2011 द्वारा अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित है, जो विभागीय वेवसाईट पर उपलब्ध है जिसका अवलोकन कर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

20. **समुदाय का प्रशिक्षण** :- इस संदर्भ में विदित है कि पूर्व में NDRF द्वारा प्रमंडल स्तर पर प्रशिक्षण दिया गया है। SDRF से पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय।

21. **राहत एवं बचाव दल का गठन** :- अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि बाढ़ प्रवण प्रखंडों के पंचायतों में यथानुसार समुदाय के प्रशिक्षित व्यक्तियों, प्रशिक्षित गोताखारों, प्रखंड/अंचल के कर्मियों, प्राथमिक उपचार में दक्ष स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं, नागरिक सुरक्षा कर्मियों एवं पुलिस के जवानों को मिलाकर बाढ़ आपदा के दौरान राहत एवं बचाव कार्य हेतु "**राहत एवं बचाव दल**" गठित किया जाय एवं उनकी विस्तृत सूचना जिला नियंत्रण कक्ष में संधारित की जाय।

22. **आकस्मिक फसल योजना का सूत्रण** :-आकस्मिक फसल योजना का सूत्रण की समीक्षा के दौरान जिला कृषि पदाधिकारी की खोज किये जाने पर उनके द्वारा प्रतिनियुक्त प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि वे पटना बैठक में गया है। जिला कृषि पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि संभावित बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए आकस्मिक फसल योजना बना ली जाय। इस योजना में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में धान की फसल/बिचड़ों की क्षति होने पर बिचड़े उपलब्ध कराना एवं वैकल्पिक फसल उगाने की योजना शामिल की जाय। नर्सरी की जाँच संबंधित प्रखंड के वरीय पदाधिकारी सत्यापित कर प्रतिवेदित करेंगे।

23. **अन्यान्य** :-

(i) पुलिस अधीक्षक, किशनगंज द्वारा बताया गया कि विगत बाढ़ में खेतों में बालू जमा हो गया था। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि यदि खेतों में बालू भर जाता है तो उसे तुरन्त हटाने के लिए खेत

मालिक को पैसा का भुगतान कर देना है। इसके लिए प्रत्येक बिन्दु पर सरकारी दर निर्धारित है। बाढ़ के समय खेत में बालू वाली स्थिति कहाँ–कहाँ है इसका भौतिक रूप से संबंधित कर्मचारी/किसान सलाहकार संयुक्त प्रतिवेदन तैयार कर प्रतिवेदित करेंगे ।

(ii) नाव परिचालन के संबंध में समीक्षा की गई। अंचल में उपलब्ध नावों का परिचालन पूर्वाह्न 06.00 बजे से अपराह्न 06.00 बजे तक चालू रहेगा। यदि इस बीच उक्त निर्धारित समय के अलावे नाव परिचालन की आवश्यकता हो तो अधोहस्ताक्षरी की अनुमति एवं प्रकाश की समुचित व्यवस्था के साथ नाव परिचालन किया जाना है।

(iii) पुलिस अधीक्षक, किशनगंज द्वारा बताया गया कि पिछला अनुभव है कि बच्चे अधिक संख्या में डूब कर मरा है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सभी विद्यालयों में बच्चों के अभिभावकों के साथ इस संबंध में आवश्यक सावधानी बरतने हेतु बैठक करना सुनिश्चित करेंगे ताकि पिछले वार की स्थिति नहीं हों।

(iv) सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे ये सारी सूचनायें एक सप्ताह के अन्दर जिला को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। प्रखंड के वरीय पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे इसका पर्यवेक्षण शुरूआत में ही प्रारम्भ करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही इससे संबंधित संकलित डाटा जिला को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई । प्रेषित।

(पंकज दीक्षित भा.प्र.से.)
जिला पदाधिकारी एवं समाहर्त्ता
किशनगंज ।

ज्ञापांक...275...../जि0आ0प्र0, दिनांक...24...../...05..../2017

प्रतिलिपि :: सभी अंचल अधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, किशनगंज जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :: संबंधित सभी पदाधिकारी किशनगंज जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :: सभी प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, किशनगंज जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :: जिला नजारत उपसमाहर्त्ता, किशनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :: भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/ अनुमंडल पदाधिकारी / निदेशक,डी.आर.डी.ए./अपर समाहर्त्ता / उप विकास आयुक्त / पुलिस अधीक्षक/ सिविल सर्जन किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

24/05/17

(पंकज दीक्षित भा.प्र.से.)
जिला पदाधिकारी एवं समाहर्त्ता
किशनगंज ।